<u>न्यायालय: — माखनलाल झोड, द्वि०अ० सत्र न्या० बालाघाट</u> श्रृंखाला न्यायालय बैहर

C.R.A. No. 38/2017 Filling No. CRA/1561/2017 CNR MP 5005002329/2017 संस्थित दिनांक — 11.10.2017

सुन्दर पिता लिखनलाल उम्र ४५ वर्ष निवासी—ग्राम पिण्डकेपार चौकी उकवा थाना रूपझर जिला—बालाघाट (म०प्र०) — — — — — —

/ / <u>विरूद</u> / /

म0प्र0 शासन द्वारा :—आरक्षी केन्द्र रूपझर जिला बालाघाट — — —

<u> उत्तरवादी</u>

दाण्डिक अपील प्रस्तुत की है}

श्री बी०एल० राणा अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी—सुन्दर। श्री अभिजीत बापट, ए.पी.पी. वास्ते उत्तरवादी / राज्य।

> _/// <u>निर्णय</u> ///— <u>अ</u> आज दिनांक 11 जनवरी 2018 को घोषित)

- 1. अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 125/2011 म.प्र. राज्य विरूद्ध सुन्दर में दिनांक 20.09.2017 को निर्णय पारित कर अपीलार्थी को दोषसिद्ध किए जाने से परिवेदित होकर पेश की है।
- 2. अभियोजन के मामले का सार यह है कि दिनांक 13.02.2011 को रात्रि 8:00 बजे ग्राम जगनटोला रूपझर लोकमार्ग पर छोटा तालाब के पास

वाहन क्रमांक सी.जी. 04 सी.ई. 8533 को लापरवाहीपूर्वक चलाकर आहत सुरेश को टक्कर मार दिए जाने से उपचार के लिए भर्ती हुए आहत की सूचना चिकित्सक के द्वारा चौकी प्रभारी जिला चिकित्सालय बालाघाट को दिए जाने पर चौकी प्रभारी के द्वारा एम.एल.सी कराई गई, आहत को भर्ती किया गया, सान्हा क्रमांक 184 दिनांक 13.02.2011 का पुलिस चौकी अस्पताल के द्वारा लेख किया गया, थाना प्रभारी रूपझर को तत्संबंध में लिखित सूचना प्रेषित की गई। जिसका सान्हा क्रमांक 800 दिनांक 24.02.11 का लेख कर अपराध कायमी कर अपराध क्रमांक 26 / 11 दर्ज किया गया। घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया गया, साक्षियों के कथन लेख किए गए, एक्सरे परीक्षण कराया गया, अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।

प्रस्तुत अपील का सार यह है कि विचारण न्यायालय ने साक्षियों के कथनों का सूक्ष्म विवेचना न कर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर विधिक तौर पर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है, जप्तशुदा वाहन आरोपी से जप्त नहीं हुआ है, जप्ती मालिक से की गई है, घटना के संबंध में किए गए कथन का कम विचलित है, साक्षी जगतसिंह, फागूलाल, आत्माराम एवं चैनलाल ने आरोपी को पहचानने से इंकार किया है, वाहन की गति धीमी होने के संबंध में कथन किया है, निर्णय एवं दण्डाज्ञा विधि के अधीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार कर निर्णय एवं दण्डाज्ञा दिनांक 20.09.2017 निरस्त कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने की याचना की है।

<u>अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि</u>:-

क्या विद्धान विचारण न्यायालय ने आपराधिक क. 125/2011 निर्णय दिनांक 20.09.2017 में साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि, तथ्य की त्रुटि, विधि की त्रुटि किए जाने से दोषसिद्धि व दण्डादेश का निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष :-

सुरेश (अ.सा.1) ने साध्य दी है कि आरोपी को जानता है। घटना 5. 8 माह पूर्व होली के 15 दिन बाद शाम 4 बजे की है। साक्षी अपनी साईकिल

से जगनटोला सड़क पर अपनी साईड से जा रहा था। आरोपी ने पीछे से आकर मोटरसायकल से टक्कर मार दी थी जिससे साक्षी के पैर, हाथ, ढोड़ी में चोंट आयी थी। घटनास्थल पर पुलिस ने आकर उपचार के लिए अस्पताल ले गई थी, साक्षी का ईलाज हुआ था, पूछताछ कर बयान लिए थे, घटना में आरोपी की गलती है। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना चढ़ाव की है, यह स्वीकार किया है कि ट्रक को साईड देने के लिए साक्षी सड़क के नीचे उतर गया था।

- 6. प्रतिपरीक्षण में इसी साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को ही दो लोग सायकल ढकेलते हुए जा रहे थे। यह इंकार किया है कि दोनों सायकल पर सवार थे। यह स्वीकार किया है कि उसी घाट से आरोपी उसकी गाडी चढा रहा था। यह इंकार किया है कि सड़क किनारे मुरूम थी जिसमें साक्षी की साईकिल स्लिप हो गई थी जिस कारण वे गिर गए थे। यह इंकार किया है कि आरोपी की गाड़ी मुरूम में स्लिप हो गई थी।
- 7. चैनलाल (अ.सा.2) ने कथन किया है कि आरोपी को नहीं पहचानता। घटना रात 8 बजे की होना साक्ष्य दी है तब यह साक्षी शौच के लिए जा रहा था। कुछ दूरी पर सुरेश का मोटरसायकल से एक्सीडेंट हो गया था जिससे उसका पैर टूट गया था, मोटरसायकल वाला गिर गया था, अंधेरा होने के कारण वह मोटरसायकल के चालक को नहीं पहचान पाया। साक्षी ने आहत को अस्पताल में भर्ती कराया था, पुलिस ने घटना के बारे में पूछताछ की थी, नक्शामौका प्र.पी. 1 के ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना जहाँ घटी थी वहाँ मौक पर उपस्थित नहीं था। इस संभावना को स्वीकार किया है कि आहत यिह सायकल से गिर गया होगा, तो नहीं बता सकता। पद कमांक 4 में स्वीकार किया है कि वाहन चालक अपनी साईड से वाहन को चलाते हुए जा रहा था। साक्षी के समक्ष पुलिस ने नक्शा मौका तैयार नहीं किया था।

- 8. फागूलाल (अ.सा.5) के कथन में घटना बाबद साक्ष्य नहीं है। सूचक प्रश्न के उत्तर में भी सार्थक साक्ष्य नहीं है। पुलिस कथन प्र.पी. 12 का देना इंकार किया है। इसी प्रकार आत्माराम (अ.सा.8) पक्षद्रोही है। सूचक प्रश्न के उत्तर में सार्थक साक्ष्य नहीं है।
- 9. जगतिसंह (अ.सा.७) ने साक्ष्य दी है कि आरोपी को नहीं जानता। घटना 5 साल पूर्व जगनटौला के पास शाम 7:30 बजे की होना कथन किया है। साक्षी सुरेश के साथ उमिरया से पैदल आ रहा था। साक्षी के पास भी सायकल थी, तभी जगनटोला पुलिया के पास मोटरसायकल चालक ने पीछे से सुरेश को ठोकर मार दी सुरेश के पैर में गंभीर चोट आयी थी, मोटरसायकल वाले को भी चोंट आयी थी। घटना की सूचना रूपझर थाने को दी थी। सुरेश को जॉच के लिए बालाघाट अस्पताल लेकर गए थे। साक्षी और आहत अपने साईड से जा रहे थे, मोटरसायकल वाला पीछे से आया और टक्कर मार दी इसलिए गलती मोटरसायकल वाले की है।
- 10. इसी साक्षी ने आगे साक्ष्य दी है कि पुलिस ने साक्षी के बताए अनुसार नक्शामौका प्र.पी. 1 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर हस्ताक्षर है। मोटरसायकल के हेड लाईट और इंडीकेटर टूट गये थे, को जप्त कर जप्ती पत्र प्र.पी. 9 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर चढाव था इस कारण वहां की गित धीमी होती है। यह स्वीकार किया है कि रोड के दोनों ओर बारिक छोटे—छोटे पत्थर थे। यह इंकार किया है कि साक्षी का साथी साईकिल से मुक्तम वाले पत्थर पर गिर गया था जिससे चोट आयी थी।
- 11. डॉ. नितेन्द्र रावतकर (अ.सा.६) ने आहत सुरेश पिता कमलिसंह की एम.एल.सी. की थी, परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. ६ है। आहत को भर्ती किया गया था। बाह्य पर्ची प्र.पी. 13 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। आंतरिक भर्ती पर्ची प्र.पी. 14 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। आहत अस्पताल आया था जिसकी सूचना साक्षी ने अस्पताल चौकी बालाघाट

को दी थी तथा डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.3) रेडियोलॉजिस्ट ने एक्सरे प्लेट कमांक 551 का परीक्षण कर प्र.पी. 2 की रिपोर्ट लेख की थी, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। आहत के एक्सरे प्लेट के परीक्षण में बाएं जांघ के फीमर हड्डी के 1/3 भाग में फेक्चर होना पाया था। प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है कि उक्त चोंट सामान्य प्रकृति की थी। यह इंकार किया है कि उक्त चोंट गिरने से आ सकती है।

- 12. रमेश इंगले (अ.सा.4) सहायक उप निरीक्षक ने प्रक्रिया बाबद् साक्ष्य दी है जिसे लेख करने की आवश्यकता नहीं है।
- 13. अभयपक्षों द्वारा किए गए तर्को को विचार में लिया गया।
- बचाव पक्ष की ओर से सुरेश (अ.सा.1) को प्रतिपरीक्षण में दिए गए सुझाव को पद कमांक 2 में स्वीकार किए जाने से :- " यह सही है कि उसी घाट से आरोपी अपनी गाड़ी चढ़ा रहा था '' । पद कमांक 4 में दी गई साक्ष्य:- '' यह कहना गलत है कि आरोपी ने साक्षीगण की सायकल को ठोस नहीं मारा था। यह कहना गलत है कि आरोपी की गाड़ी भी मुरूम से स्लिप हुई थी '' की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपी घटना के समय मौके पर अपनी मोटरसायकल से जा रहा था। चैनलाल (अ.सा.2) ने आरोपी को न पहचानना मुख्य कथन में साक्ष्य दी है। अन्य साक्षियों ने आरोपी को न पहचानना साक्ष्य दी है तथा घटना की पुष्टि की है। घटना घाट की होने के कारण तेज गति से अपीलार्थी का वाहन नहीं चल रहा था किंतु सड़क किनारे पैदल चल रहे व्यक्ति जिसके हाथ में साईकिल भी थी, को टक्कर मारना या टक्कर हो जाना निश्चित रूप से लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने की परिस्थिति दर्शाता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध पाकर तथ्य की, विधि की, साक्ष्य के मूल्यांकन की त्रुटि नहीं की है। दोषसिद्धि के बिंदु पर प्रश्नाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2017 की पुष्टि की जाती है।

- 15. दण्ड के प्रश्न पर अपीलार्थी की और से श्री बी.एल. राणा अधिवक्ता ने तर्क कर निवेदन किया कि यदि विचारण न्यायालय के द्वारा विधि के अनुसार अर्थदण्ड की पूर्ण राशि से दंडित कर दिया हो तो अपीलार्थी धारा 357 द.प्र.सं. के प्रावधान के अधीन आहत/फरियादी को 5,000/—(पांच हजार) रूपये अतिरिक्त क्षतिपूर्ति देने तैयार है, अपीलार्थी का कारावासीय दण्ड अपास्त किये जाने का निवेदन किया।
- 16. उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्को को विचार में लिया गया।
- 17. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को विचार में लिया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2017 द्वारा दोषसिद्धि का लेख निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है इसलिए हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है। दोषसिद्धि की सीमा तक निष्कर्ष की पुष्टि पद क्रमांक 14 में की जा चुकी है। अपीलार्थी की ओर से किए गए तर्क अनुसार अपराध की प्रकृति को विचार में लेने के पश्चात् अपीलार्थी को कारावासीय दण्ड दिया गया है, को विधिक प्रावधान के अधीन कारावासीय दण्ड अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों की स्थिति होने के कारण केवल अर्थदण्ड से दंडित किया जाकर धारा 357 द.प्र.सं. के अधीन प्रतिकर राशि बचाव पक्ष के तर्क अनुसार 5,000 / (पांच हजार) कपए दिलाई जाकर केवल अर्थदण्ड से दंडित किया जाना पर्याप्त है।
- 18. अतः धारा 338 भा.द.वि. के लिए एक माह का साधारण कारावास की दण्डाज्ञा अपास्त की जाती है तथा प्रश्नाधीन निर्णय के पद कमांक 18 को अपास्त करते हुए अर्थदण्ड की राशि 2500/—रूपए म.प्र. राज्य के पक्ष में निराकृत की जाती है तथा इस निर्णय द्वारा 5000/—(पांच हजार) रूपये की राशि जमा होने पर धारा 357 (4) द.प्र.सं. के तहत आहत सुरेश को अपील अवधि पश्चात् सूचना देकर प्रदान की जावे। अपीलार्थी के जमानत मुचलके अपास्त कर भारमुक्त किए जाते है।

- अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष रसीद बुक नम्बर 19. 23485 / 31 दिनांक 20.09.2017 के द्वारा 2500 / —(दो हजार पांच सौ) रूपये अर्थदण्ड की राशि जमा किया है।
- धारा ४५४ द.प्र.सं. के अधीन प्रश्नाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2011 20. के पद क्रमांक 21 की पुष्टि की जाती है। इस निर्णय के विरूद्ध अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।
- निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख 21. कर अभिलेख, अभिलेखागार में जमा की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित ।

 मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

Sd/-{माखनलाल झोड़}

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालाघार श्रृंखला न्यायालय बेहर

Sd/-{माखनलाल झोड़}

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर

Halled Alleran Fills ARRIVATION OF SELECTION AND ASSESSED BY ARRIVATION OF THE PARTIES OF THE PARTIES